

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

गोटासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

फ़ाइल नम्बर :-25/2018 राजस्व वाद

आदपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री मनोहरलाल पिता मगना कोली, उम्र बालिग निवासी आदर्शनगर- गली नम्बर 02  
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ---वादी

बनाम

- 1-श्री भैरूलाल पिता राधाकिशन कोली, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी शिव मंदिर के पास,  
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 2-श्री लक्ष्मण पिता राधाकिशन कोली, उम्र बालिग निवासी आदर्शनगर गली नम्बर 2 कोटा  
रोड़, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3-श्री बाबूलाल पिता मांगीलाल कोली, उम्र बालिग निवासी तेली मोहल्ला, पुराना भीलवाड़ा
- 4-श्रीमति मूली देवी पुत्री मांगीलाल पत्नि ईश्वरलाल कोली, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी  
शिव मंदिर के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5-श्री नाथू पिता रतनलाल कोली, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी शिवमंदिर के पास,  
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 6-श्री कैलाश पिता रतन लाल कोली, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी शिव मंदिर के पास,  
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 7-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान)

---प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री मुकेश जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 6  
की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 23.05.  
2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि  
और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि  
आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा  
राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार  
किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के इस आशय की जारी  
की जाती है कि ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित  
निम्नांकित आराजियात विभाजन व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के  
राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन  
अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1-श्री मनोहरलाल पिता मगना कोली, उम्र बालिग निवासी आदर्शनगर-गली नम्बर 02  
भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादी के नाम हक व हिस्से अनुसार निम्न  
भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर

554 / 1

रकबा

-

04.00 बिस्वा

लगान

-

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा (राज.)

555 / 1	-	07.05 बिस्वा	-
556 / 1	-	02.00 बिस्वा	-

कुल किता 3 रकबा	-	13.05 बिस्वा	लगान -
-----------------	---	--------------	--------

श्री भैरूलाल पिता राधाकिशन कोली, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी शिव मंदिर के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान), श्री लक्ष्मण पिता राधाकिशन कोली उम्र बालिग निवासी आदर्शनगर गली नम्बर 2 कोटा रोड़, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) श्री बाबूलाल पिता मांगीलाल कोली, उम्र बालिग निवासी तेली मोहल्ला, पुराना भीलवाड़ा, श्रीमति मूली देवी पुत्री मांगीलाल पत्नि ईश्वरलाल कोली, उम्र बालिग निवासी दादाबाड़ी शिव मंदिर के पास, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान), मु० गंगा बेवा राधाकिशन कोली, शांता पुत्री मांगीलाल कोली, उम्र बालिग निवासीयान दादा बाड़ी शिव मंदिर के पास, भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व अन्य के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
554	- 12.00 बिस्वा	-
555	1 बीघा 02.15 बिस्वा	-
556	- 05.00 बिस्वा	-
कुल किता 3 रकबा	1 बीघा 19.15 बिस्वा	लगान -

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 23.5.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की

यी।

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा